

Think
IAS... 



Think
Drishti

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

छत्तीसगढ़ (राज्य विशेष)



दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CGPM26



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

छत्तीसगढ़ (राज्य विशेष)



641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

दूरभाष : 8750187501, 011-47532596

टोल फ्री : 1800-121-6260

Web : www.drishtiIAS.com

E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें


 www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

 www.twitter.com/drishtiiias

1. छत्तीसगढ़ : सामान्य परिचय	7-29
2. छत्तीसगढ़ : ऐतिहासिक परिदृश्य	30-55
2.1 छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास	30
2.2 छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास	37
2.3 छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास	44
3. छत्तीसगढ़ : भौगोलिक परिदृश्य	56-63
3.1 स्थिति एवं विस्तार	56
3.2 भौतिक संरचना	57
3.3 छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग	58
4. छत्तीसगढ़ : अपवाह तंत्र	64-75
4.1 छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्र	64
4.2 जलप्रपात	71
5. छत्तीसगढ़ : जलवायु एवं मृदा	76-79
5.1 छत्तीसगढ़ की जलवायु	76
5.2 मौसमी दशाएँ: ऋतुएँ	76
5.3 मृदा	77
6. छत्तीसगढ़ : कृषि एवं पशुपालन	80-90
6.1 राज्य के कृषि जलवायु प्रदेश	80
6.2 राज्य की प्रमुख फसलें	81
6.3 पशुपालन	85
7. छत्तीसगढ़ : वन तथा वन्यजीव अभयारण्य	91-98
7.1 वनों का भौगोलिक क्षेत्र	91
7.2 वन संपदा	93
7.3 वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान	94
7.4 छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति, 2001	96

8. छत्तीसगढ़ : अर्थव्यवस्था	99–125
8.1 छत्तीसगढ़ की आर्थिक समीक्षा	99
8.2 छत्तीसगढ़ में उद्योग	114
9. छत्तीसगढ़ : ऊर्जा संसाधन	126–131
10. छत्तीसगढ़ : जल संसाधन	132–137
10.1 जल संसाधन	132
10.2 सिंचाई	134
10.3 बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजना	135
11. छत्तीसगढ़ : खनिज संसाधन	138–153
11.1 राज्य में उपलब्ध प्रमुख खनिजों के भंडार	138
11.2 राज्य में विभिन्न खनिजों के मुख्य क्षेत्र	140
11.3 छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम	151
12. छत्तीसगढ़ : परिवहन एवं संचार	154–161
12.1 छत्तीसगढ़ में परिवहन	154
12.2 छत्तीसगढ़ में संचार	157
13. छत्तीसगढ़ : स्वास्थ्य, शिक्षा एवं खेलकूद	162–174
13.1 छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य परिदृश्य	162
13.2 छत्तीसगढ़ में शिक्षा परिदृश्य	166
13.3 छत्तीसगढ़ में खेलकूद परिदृश्य	170
14. छत्तीसगढ़ : जनगणना-2011	175–185
14.1 छत्तीसगढ़ में जनगणना	177
14.2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	181
15. छत्तीसगढ़ : पुरातत्व एवं पर्यटन	186–196
15.1 छत्तीसगढ़ के प्रमुख पुरातात्विक स्थल	186
15.2 छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल	192
16. छत्तीसगढ़ : कला एवं संस्कृति	197–229

17. छत्तीसगढ़ : भाषा एवं साहित्य	230–251
17.1 छत्तीसगढ़ी भाषा	230
17.2 छत्तीसगढ़ी साहित्य	233
18. छत्तीसगढ़ : जनजातियाँ	252–265
19. छत्तीसगढ़: सम्मान एवं पुरस्कार	266–271
20. छत्तीसगढ़ : प्रसिद्ध व्यक्तित्व	272–281
21. छत्तीसगढ़ : योजनाएँ एवं समसामयिकी	282–289
22. छत्तीसगढ़ : राजव्यवस्था एवं प्रशासनिक ढाँचा	290–308
22.1 छत्तीसगढ़ विधायिका	290
22.2 छत्तीसगढ़ कार्यपालिका	296
22.3 छत्तीसगढ़ न्यायपालिका	299
22.4 छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढाँचा	301
23. छत्तीसगढ़ : स्थानीय शासन एवं पंचायती राज	309–320
23.1 छत्तीसगढ़ में स्थानीय शासन	309
23.2 छत्तीसगढ़ में पंचायती राज एवं नगर निकाय प्रणाली	311



छत्तीसगढ़ : सामान्य परिचय (Chhattisgarh : General Introduction)

● राज्य का नाम	- छत्तीसगढ़
● राज्य की स्थापना	- 1 नवंबर, 2000 (देश का 26वाँ राज्य)
● छत्तीसगढ़ मध्यप्रान्त का एक संभाग बना	- 1862 में
● राज्य की राजधानी	- नया रायपुर (पहले रायपुर)
● राज्य की आकृति	- सी. हास (समुद्री घोड़े) के समान
● राज्य गठन हेतु अधिनियम	- मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000
● राज्य का मातृ राज्य	- मध्य प्रदेश
● राज्य निर्माण का समय	- 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)
● राज्य का अन्य नाम	- दक्षिण कोसल
● राज्य की राजकीय भाषा	- छत्तीसगढ़ी (स्वीकृति 28 नवंबर, 2007 को)
● राज्य में राज्यसभा सीटें	- 5
● राज्य में लोकसभा सीटें	- 11
● राज्य में विधानसभा सीटें	- 90
● राज्य का उच्च न्यायालय	- बिलासपुर (देश का 19वाँ उच्च न्यायालय)
● राज्य में रेलवे जोन	- दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे (बिलासपुर) (देश का 16वाँ रेलवे जोन)
● राज्य में शासकीय मुद्रणालय	- राजनांदगाँव (1989)
● राज्य में ब्रेल लिपि प्रेस	- तिफरा (बिलासपुर)
● राज्य का राजस्व मंडल मुख्यालय	- बिलासपुर
● राज्य का नृजातीय म्यूज़ियम	- जगदलपुर

राज्य का प्रतीक (Symbol of the State)

राज्य का प्रतीक चिह्न (स्वीकृति 4 सितंबर, 2001)	<ul style="list-style-type: none"> ● 36 गढ़ों के बीच सुरक्षित, विकास की अदम्य आकांक्षा को दर्शाता गोलाकार चिह्न - हरा रंग ● बीच में भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ - लाल रंग ● धान की बालियाँ - सुनहरा रंग ● ऊर्जा का प्रतीक - नीला रंग ● नदियों को रेखांकित करती लहरें - तिरंगे के रंग में
राजकीय पक्षी	बस्तर की पहाड़ी मैना (Hill Myna) (Gracula Religiosa Peninsularis)
राजकीय पशु	वनभैंसा (Wild Buffalo) (Bubalus Bubalis)
राजकीय वृक्ष	साल (Sal) (Shore Robusta)
राजकीय प्रतीक वाक्य	विश्वसनीय छत्तीसगढ़ (Crediable Chhattisgarh)

भौगोलिक स्थिति (Geographical location)

● अक्षांश (latitude)	- 17°46' N/उ. To/से 24°5'N/उ.
----------------------	-------------------------------

● राज्य का पहला विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र	-	रायपुर
● राज्य का नवीनतम विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र	-	राजनांदगाँव
● राज्य का प्रथम उद्योग	-	कपास उद्योग (बंगाल नागपुर कॉटन मिल)
● राज्य का एकमात्र जूट मिल उद्योग	-	मोहन जूट मिल
● राज्य का प्रथम सीमेंट संयंत्र	-	एसोसिएट सीमेंट कंपनी
● राज्य में सीमेंट के सर्वाधिक कारखाने	-	बलौदाबाजार
● राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना	-	भोरमदेव शक्कर कारखाना, राम्हेपुर (कवर्धा) (मार्च 2003)

छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न भवनों के नाम

(Names of Various Buildings of Chhattisgarh Government)

● महानदी भवन	-	मंत्रालय एवं सचिवालय भवन
● इंद्रावती भवन	-	निदेशालय भवन
● मिनीमाता भवन	-	विधानसभा भवन
● करुणा	-	मुख्यमंत्री निवास
● संगवारी	-	विधायकों का विश्रामगृह
● पहुना	-	राज्यशासन का विश्रामगृह
● संजीवनी	-	राज्य चिकित्सालय
● संवेदना	-	विधानसभा अध्यक्ष निवास
● सोनाखान	-	राज्य खनिज भवन
● मितानीन	-	ज़िला पंचायत भवन
● रामगीरी	-	पी.एच.ई. मुख्य अभियंता कार्यालय
● रेणुका	-	निगम प्रवेश द्वार
● अरण्य भवन	-	वन विभाग
● सिहावा	-	जल संसाधन प्रमुख अभियंता

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर, 2000 को देश के 26वें राज्य के रूप में हुई।
- छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.14 प्रतिशत है।
- छत्तीसगढ़ की सबसे ऊँची चोटी गौरलाता (सामरीपाट, बलरामपुर) है। इसकी ऊँचाई 1225 मीटर है।
- दिसंबर 2011 में जिलों की कुल संख्या 18 थी, जबकि राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या 16 थी।
- राज्य में सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला जांजगीर-चांपा (10 तहसील) है।
- राज्य का सबसे नवीन एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग दुर्ग है।
- राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा संभाग क्रमशः बिलासपुर एवं बस्तर है।
- कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ देश की सबसे बड़ी भूमिगत कोयला खदान गेवरा माईस स्थित है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित में से रायपुर ज़िला नहीं है-
CGPCS (Pre) 2018
(a) सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला
(b) सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला ज़िला
(c) सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला ज़िला
(d) सर्वाधिक स्त्री-पुरुष अनुपात वाला ज़िला
2. निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक सभाग बना? **CGPCS (Pre) 2016, 2015**
(a) 1860 (b) 1862
(c) 1863 (d) 1865
(e) 1868
3. प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला ज़िला है
CGPCS (Pre) 2015
(a) धमतरी (b) रायगढ़
(c) जशपुर (d) राजनांदगाँव
(e) इनमें से कोई नहीं
4. दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में ज़िलों की संख्या कितनी थी?
CGPCS (Pre) 2014
(a) 27 (b) 16
(c) 18 (d) 22
(e) 26
5. छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है?
CGPCS (Pre) 2013
(a) शेर (b) सांभर
(c) जंगली भैंसा (d) हिरण
(e) इनमें से कोई नहीं
6. निम्नलिखित में से कौन-सा ज़िला, वर्ष 2012 में गठित ज़िलों में से नहीं है? **CGPCS (Pre) 2013**
(a) धमतरी
(b) बेमेतरा
(c) बलौदाबाज़ार-भाटापारा
(d) गरियाबंद
(e) मुंगेली
7. छत्तीसगढ़ में किस स्थान में संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है? **CGPCS (Pre) 2013**
(a) खैरागढ़ (b) रायगढ़
(c) डोंगरगढ़ (d) सारंगढ़
(e) जगदलपुर
8. छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है?
CGPCS (Pre) 2014
(a) 20 प्रतिशत (b) 30 प्रतिशत
(c) 40 प्रतिशत (d) 50 प्रतिशत
(e) 45 प्रतिशत
9. छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागौन वन है? **CGPCS (Pre) 2013**
(a) 9 प्रतिशत (b) 12 प्रतिशत
(c) 20 प्रतिशत (d) 25 प्रतिशत
(e) 28 प्रतिशत
10. छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस ज़िले में से सबसे कम वन क्षेत्र है? **CGPCS (Pre) 2013**
(a) दुर्ग (b) जांजगीर-चांपा
(c) कवर्धा (d) महासमुंद
(e) धमतरी
11. छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन-सा ज़िला मुख्यालय नहीं है? **CGPCS (Pre) 2013**
(a) बलौदाबाज़ार (b) जशपुर
(c) कांकेर (d) बालोद
(e) बस्तर
12. छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? **CGPCS (Pre) 2012**
(a) साल वन (b) सागौन वन
(c) मिश्रित वन (d) बाँस वन
(e) इनमें से कोई नहीं
13. देश के खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? **CGPCS (Pre) 2012**
(a) प्रथम (b) द्वितीय
(c) तृतीय (d) चतुर्थ
(e) पंचम
14. छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन ज़िलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती? **CGPCS (Pre) 2012**
(a) सरगुजा, बेमेतरा, जांजगीर-चांपा, धमतरी
(b) बालोद, बेमेतरा, कोरबा, जांजगीर-चांपा

- (c) सूरजपुर, राजनांदगाँव, बीजापुर, महासमुंद
(d) राजनांदगाँव, रायपुर, बस्तर, बीजापुर
15. छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक हैं-
(a) गुरु घासीदास (b) चूड़ामणी साहब
(c) संत कबीर दास (d) धर्मदास
16. छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है
(a) NH 30 (b) NH 163 (A)
(c) NH 353 (d) NH 149 (B)
17. राज्य का एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है?
(a) अंजोग (दुर्ग)
(b) मानपुर (राजनांदगाँव)
(c) बिरकोना (बिलासपुर)
(d) खरसिया (रायगढ़)
18. छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया था?
(a) कबीरधाम (b) बेमेतरा
(c) राजनांदगाँव (d) धमतरी
19. छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है-
(a) उरला (रायपुर) (b) सिलतरा (रायपुर)
(c) बोरई (दुर्ग) (d) सिरगिट्टी (बिलासपुर)
20. छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा अध्यक्ष का निवास स्थल किस नाम से जाना जाता है?
(a) करुणा (b) संगवारी
(c) संवेदना (d) पहुना
21. निम्नलिखित में से किस जिले को पहले 'दंदबुल्ला' के नाम से जाना जाता था?
(a) सूरजपुर (b) बलरामपुर
(c) बेमेतरा (d) बिलासपुर
22. खनिज भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान है-
(a) पहला (b) दूसरा
(c) तीसरा (d) चौथा
23. जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है-
(a) रायपुर (b) बिलासपुर
(c) बस्तर (d) दुर्ग

उत्तरमाला


1. (d) 2. (b) 3. (a) 4. (c) 5. (c) 6. (a) 7. (a) 8. (c) 9. (a) 10. (a)
11. (e) 12. (c) 13. (e) 14. (b) 15. (a) 16. (b) 17. (a) 18. (a) 19. (b) 20. (c)
21. (a) 22. (c) 23. (b)

छत्तीसगढ़ : ऐतिहासिक परिदृश्य (Chhattisgarh : Historical Scenario)

भारत के इतिहास में छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ का इतिहास मानव सभ्यता के प्रारंभ से लेकर आधुनिक काल तक का साक्षी रहा है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक एवं पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

2.1 छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास (Ancient History of Chhattisgarh)

प्राचीन काल में यह क्षेत्र दक्षिण कौशल का एक भाग था और इसका इतिहास पौराणिक काल तक चला जाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास को कालक्रमानुसार निम्न प्रकार से रखा जा सकता है-



प्रागैतिहासिक काल

वर्तमान का छत्तीसगढ़ राज्य प्रायद्वीपीय भारत में आता है। यह प्रागैतिहासिक काल से ही मानव गतिविधियों का क्षेत्र रहा है। अतः यहाँ पाषाण युग का वही स्वरूप होना चाहिये, जैसा अन्य क्षेत्रों से प्राप्त होता है।

प्रागैतिहासिक काल			
क्र.सं.	काल	स्थल	विशेष
1.	पूर्व पाषाण काल	सिंधनपुर गुफाएँ (रायगढ़) (पाषाणकालीन शैलचित्रों के लिये प्रसिद्ध) खोज-राय बहादुर, श्री मनोरंजन घोष	यहाँ पत्थर के हस्तचालित कुदाल मिले हैं।
2.	मध्यपाषाण काल	कबरा पहाड़ (रायगढ़) अन्य स्थल-कालीपुर, करमाघाट भातेवाड़ा, राजपुर, घटलोहांग आदि।	<ul style="list-style-type: none"> ● लाल रंग के छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर आदि थी चित्रकारी। ● इसके अलावा मध्यपाषाणकाल के महत्वपूर्ण साक्ष्य-लंबे फलक वाले औजार, अर्द्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार आदि हैं।

छत्तीसगढ़ : भौगोलिक परिदृश्य (Chhattisgarh : Geographical Landscape)

छत्तीसगढ़ पूर्णतः चारों ओर से स्थलों से घिरा एक भू-आवेष्टित राज्य है। प्रदेश की सीमा न तो किसी सागरीय सीमा को स्पर्श करती है और न किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है तथा इसकी आकृति समुद्री घोड़े के समान है।

3.1 स्थिति एवं विस्तार (Status and Extension)

- छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति 17°46' उत्तरी अक्षांश से 24°5' उत्तरी अक्षांश तथा 80°15' पूर्वी देशांतर से 84°25' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।
- छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती है। (ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश) राज्य के पूर्व में ओडिशा, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, उत्तर-पश्चिम में, मध्य प्रदेश, दक्षिण-पश्चिम में तेलंगाना, उत्तर-पूर्व झारखंड स्थित है।
- राज्य का कुल क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है, छत्तीसगढ़ पूर्व से पश्चिम तक 435 किमी. क्षेत्र में फैला हुआ है तथा उत्तर से दक्षिण तक 700 किमी. क्षेत्र में फैला हुआ है।
- छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 10वाँ बड़ा राज्य है।

छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे राज्य एवं उनके जिले

सीमावर्ती राज्य	संख्या	जिला
उत्तर प्रदेश	1	सोनभद्र
झारखंड	4	गढ़वा, लतेहार, गुमला, सिमडेगा
मध्य प्रदेश	6	बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सिंगरौली, सीधी
महाराष्ट्र	2	गोंडिया, गडचिरोली
तेलंगाना	2	जयाशंकर, भाद्रादरी कौथागुडेम
आंध्र प्रदेश	1	पूर्व गोदावरी
ओडिशा	8	सुंदरगढ़, झारसुगुडा, बारगढ़, नुआपड़ा, कालाहांडी, नबरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी

सीमावर्ती राज्यों से जुड़े छत्तीसगढ़ के जिले

राज्य	संख्या	जिला
ओडिशा	8	सुकमा, बस्तर (जगदलपुर) कोंडागाँव, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़, जशपुर
आंध्र प्रदेश	1	सुकमा
उत्तर प्रदेश	1	बलरामपुर
तेलंगाना	2	सुकमा, बीजापुर
महाराष्ट्र	4	बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगाँव
मध्य प्रदेश	7	राजनांदगाँव, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर
झारखंड	2	बलरामपुर, जशपुर

छत्तीसगढ़ : अपवाह तंत्र (Chhattisgarh : Drainage System)

अपवाह तंत्र से अभिप्राय नदियों के उस तंत्र जाल से है जिसमें धरातलीय जल प्रवाहित होता है। नदियाँ कृषि-प्रधान राज्य की जीवन रेखा कहलाती हैं क्योंकि ये क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। छत्तीसगढ़ में आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन में भी यहाँ बहने वाली नदियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य के विभिन्न भागों में अनेक नदियाँ बहती हैं। इन नदियों के अपवाह तंत्र के निर्धारण में राज्य की धरातलीय संरचना, ढाल एवं जल की प्राप्ति का विशेष योगदान है। राज्य को कृषि-प्रधान बनाने में यहाँ की नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

4.1 छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्र (Drainage System in Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के अनुसार लगभग 135100 वर्ग कि.मी. है। राज्य में पाँच अपवाह तंत्र आते हैं अर्थात् राज्य को पाँच नदी घाटियों में विभाजित किया गया है। महानदी नदी बेसिन जो सबसे बड़ी है, का अपवाह क्षेत्र (Catchment area) 75858.45 वर्ग कि.मी. है। गोदावरी बेसिन जो दूसरी बड़ी नदी बेसिन है, का अपवाह क्षेत्र 38694.02 वर्ग कि.मी. है। गंगा नदी बेसिन का अपवाह क्षेत्र 18406.65 वर्ग कि.मी., ब्राह्मणी नदी बेसिन का अपवाह क्षेत्र 1394.55 वर्ग कि.मी. तथा नर्मदा बेसिन का अपवाह क्षेत्र 743.88 वर्ग कि.मी. है।



छत्तीसगढ़ में नदी बेसिन					
क्र.स.	बेसिन	उप. बेसिन	मुख्य नदी का उद्गम स्रोत	अपवाह क्षेत्र (वर्ग. कि.मी. में.)	प्रमुख सहायक नदियाँ
1.	महानदी	1. शिवनाथ 2. हसदेव 3. मांड 4. ईब 5. पैरी 6. जोंक 7. केलो 8. तेल	सिहावा पर्वत (धमतरी, छत्तीसगढ़)	75858.45	शिवनाथ, हसदेव मांड, पैरी, सोंदूर
2.	गोदावरी	1. इंद्रावती 2. कोलाब व अन्य 3. वैन गंगा	नासिक (महाराष्ट्र)	38694.02	शबरी, इंद्रावती

छत्तीसगढ़ : जलवायु एवं मृदा (Chhattisgarh : Climate and Soil)

सामान्य तौर पर मौसम के प्रमुख तत्वों जैसे वर्षा, तापमान, वायुदाब, पवनों की गति इत्यादि की लंबी अवधि के औसतीकरण को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। यह उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सूर्य प्रकाश, हवाएँ, पर्वत और विभिन्न भौगोलिक कारकों द्वारा नियंत्रित होती है।

5.1 छत्तीसगढ़ की जलवायु (Climate of Chhattisgarh)

भारत के मध्य भाग में अवस्थिति के कारण छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यह कर्क रेखा में स्थित है। कर्क रेखा इस प्रदेश के उत्तरी भाग बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिला से होकर गुजरती है, जिसका पर्याप्त प्रभाव यहाँ की जलवायु पर पड़ता है।

छत्तीसगढ़ की जलवायु की प्रमुख विशेषताएँ

- छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय उपार्द्र महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाओं के द्वारा वर्षा होती है। इसलिये यहाँ की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं।
- छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ (नारायणपुर) तथा सबसे कम वर्षा मैकल रेंज (कवर्धा) में होती है।
- अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का 'चेरापूंजी' कहा जाता है।
- छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा 1300-1325 मिमी. है।
- छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान 'चांपा' तथा सबसे ठंडा स्थान 'मैनपाट (सरगुजा)' है।

5.2 मौसमी दशाएँ: ऋतुएँ (Weather Conditions: Seasons)

छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से तीन ऋतुएँ पाई जाती हैं-

1. ग्रीष्म ऋतु (16 फरवरी से 15 जून)
2. वर्षा ऋतु (16 जून से 15 अक्टूबर)
3. शीत ऋतु (16 अक्टूबर से 15 फरवरी)

ग्रीष्म ऋतु

- छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु का समय 16 फरवरी से 15 जून तक का है।
- छत्तीसगढ़ उत्तरी गोलार्द्ध में है तथा 21 मार्च से सूर्य का उत्तरायण होना प्रारंभ होता है। इस वजह से यहाँ मार्च के बाद तापमान में वृद्धि होने लगती है।
- मई के अंतिम सप्ताह तथा जून के प्रथम सप्ताह में छत्तीसगढ़ गर्म एवं शुष्क हवाओं की चपेट में आ जाता है, जिसे 'लू' कहते हैं। छत्तीसगढ़ के ऊँचे भाग 'लू' के प्रकोप में नहीं आते।
- प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान रायगढ़ का है।
- ग्रीष्म ऋतु के दौरान यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। स्थानीय मौसम के कारण कभी-कभी शाम को तेज हवाओं के साथ वर्षा हो जाती है।

छत्तीसगढ़: कृषि एवं पशुपालन (Chhattisgarh: Agriculture and Animal Husbandry)

छत्तीसगढ़ राज्य 17°46' से 24°50' उत्तरी अक्षांश तथा 80°15' से 84°24' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। राज्य का कुल भौगोलिक शेषफल 137.90 लाख हेक्टेयर है। राज्य में खरीफ की फसलों का सामान्य क्षेत्र 48.09 लाख हेक्टेयर तथा रबी की फसलों का क्षेत्र 17.96 लाख हेक्टेयर है। वर्तमान में राज्य में विभिन्न सिंचाई के स्रोतों से खरीफ के मौसम में 14.86 लाख हेक्टेयर के लिये सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है जो निरा/शुद्ध फसली क्षेत्र का 32% है। यहाँ कुल 37.46 लाख कृषक परिवार है जिसमें से 80% (अन्य स्रोत में 76%) लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं। राज्य में 33% अनुसूचित जनजाति एवं 12% अनुसूचित जाति के कृषक परिवार हैं।

छत्तीसगढ़ के भू-उपयोग की सामान्य जानकारी 2018-19

क्र.सं.	विषय-वस्तु	इकाई	विवरण
1	सामान्य वर्षा	मिमी.	1226.5
2	भौगोलिक क्षेत्र	हजार हेक्टेयर	13790
3	वन का क्षेत्र	हजार हेक्टेयर	6317
4	खरीफ का क्षेत्र	हजार हेक्टेयर	4809
5	रबी का क्षेत्र	हजार हेक्टेयर	1796
6	संपूर्ण फसलों का कुल क्षेत्रफल	हजार हेक्टेयर	6605
7	फसल सघनता	प्रतिशत	138
8	कृषि योग्य पड़ती भूमि	हजार हेक्टेयर	362
9	चारागाह के अंतर्गत भूमि	हजार हेक्टेयर	887
10	कुल पड़ती भूमि	हजार हेक्टेयर	530
11	समस्त साधनों से सिंचित क्षेत्र	हजार हेक्टेयर	1846
12	1. निरा सिंचित क्षेत्र	हजार हेक्टेयर	1486
	2. निरा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत	प्रतिशत	32

6.1 राज्य के कृषि जलवायु प्रदेश (Agroclimatic Zone of State)

राज्य को निम्नानुसार तीन कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है-


- **छत्तीसगढ़ का मैदान:** इस क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगाँव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़ तथा जांजगीर संपूर्ण जिला व कांकेर जिले की चारामा एवं भानूप्रतापपुर तहसीलें आती हैं। राज्य की 49.48% भूमि इस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है। क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 1225.1 मिमी. है।
- **बस्तर का पठार:** इस क्षेत्र के अंतर्गत दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागाँव संपूर्ण जिला तथा कांकेर की कांकेर, नरहरपुर, अंतागढ़ एवं पखांजूर तहसीलें आती हैं। राज्य की 28.62% भूमि इस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है। क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 1521 मिमी. है।

छत्तीसगढ़ : वन तथा वन्यजीव अभयारण्य (Chhattisgarh : Forest and Wildlife Sanctuary)

छत्तीसगढ़ वन एवं वन संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। मानसूनी जलवायु (उष्णकटिबंधीय क्षेत्र) की प्रकृति, वर्षा की मात्रा, तापमान एवं पठारी भूमि आदि घटक वनों के विकास में सहायक हैं। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का अंश वर्ष 2016-17 में 2.71% व 2017-18 (अनुमानित) में 2.57 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ को वनों का राज्य भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं।

7.1 वनों का भौगोलिक क्षेत्र (Geographical Area of Forests)

- राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में कुल वनों का विस्तार 59772.40 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2% तथा देश के कुल वन क्षेत्रों का 12.26% है।
- वनों में वृद्धि, विकास और रख-रखाव के प्रशासनिक दृष्टिकोण से वनों को 3 भागों में बाँटा गया है-



आरक्षित वन (Reserve forest)

- छत्तीसगढ़ में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल लगभग 25782.17 वर्ग किमी. है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का 43.13% है। आरक्षित वनों में लकड़ी काटना, पशुचारण, आवागमन का पूर्णतः निषेध होता है।
- आरक्षित वन का प्रबंधन प्रशासन द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से होता है।
- सबसे ज़्यादा आरक्षित वनों का अनुपात दंतेवाड़ा जिले में तथा न्यूनतम अनुपात कोरबा जिले में है।

संरक्षित वन (Protected forest)

- छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन का क्षेत्रफल लगभग 24036.10 वर्ग किमी. है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का 40.22% है। इन वनों का प्रबंधन प्रशासन की देख-रेख में किया जाता है।
- संरक्षित वनों में पशुचारण व आवागमन की अनुमति रहती है तथा विशेष परिस्थिति में प्रशासनिक अनुमति द्वारा पेड़ काटने की सुविधा वन निवासियों को रहती है।
- संरक्षित वनों का सर्वाधिक हिस्सा सरगुजा में तथा न्यूनतम जाँजागीर-चांपा में पाया जाता है।

अवर्गीकृत वन (Unclassified forest)

- छत्तीसगढ़ में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल लगभग 9954.13 वर्ग किमी. है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 16.65% है।
- इन वनों में पशुचारण, वन काटने और आवागमन की सुविधा रहती है।

- भारतीय अर्थव्यवस्था मूल्यों के अनुपात में सकल घरेलू उत्पाद में विश्व का 10वाँ एवं क्रय शक्ति अनुपात में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में क्रमशः 6.7 एवं 7.2 प्रतिशत रही।
- ग्रामीण विकास, विकेंद्रीकरण, महिला सशक्तीकरण, शहरीकरण, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास एवं विस्तार, उन्नत संचार एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विकास, निर्यात में वृद्धि तथा 65 प्रतिशत युवा जनसंख्या आदि वे सकारात्मक बिंदु हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं।


8.1 छत्तीसगढ़ की आर्थिक समीक्षा (*Economic Survey of Chhattisgarh*)

- छत्तीसगढ़ भारत में एक विशिष्ट स्थान रखता है जो कि वन बाहुल्य, विपुल खनिज संपदा से संपन्न एवं कम जनघनत्व वाला प्रदेश है।
- जनगणना 2011 के अनुसार, छत्तीसगढ़ 2.55 करोड़ जनसंख्या के साथ देश का सोलहवाँ बड़ा राज्य है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.11 प्रतिशत है।
- राज्य में सकल लिंगानुपात 991 (ग्रामीण क्षेत्र में 1001, शहरी क्षेत्र में 956) है, जो भारत संघ में 5वें स्थान को इंगित करता है।
- राज्य की साक्षरता दर 70.3% है।
- राज्य में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2000 में 77 प्रति हजार थी, जो घटकर 2016 की स्थिति में 39 हो चुकी है।
- इसी प्रकार जन्म दर, मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर में कमी हुई है, जो प्रदेश में सुधरते स्वास्थ्य व्यवस्था को दर्शाता है।
- मातृ मृत्यु दर 2001-03 में 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर भारत में 301 तथा राज्य में 379 थी, जो घटकर भारत व छत्तीसगढ़ में क्रमशः 130 व 173 (SRS Report 2015) हो गई।
- SDG में 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- विगत वर्षों में प्रदेश में प्रसव-अस्पतालों के प्रति गर्भवती माताओं का विश्वास बढ़ा है। शासकीय अस्पतालों में NFHS-3 वर्ष 2005-06 में 6.9 प्रतिशत प्रसव होता था, जो NFHS-4 में 2015-16 में बढ़कर 55.9 प्रतिशत हो गया है। NFHS-3 वर्ष 2005-06 में संस्थागत प्रसव 14.3 प्रतिशत प्रसव होता था जो NFHS-4 में 2015-16 में बढ़कर 70.2 प्रतिशत हो गया है।

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद-स्थिर भाव पर (GSDP) वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में वृद्धि क्रमशः 5.00, 10.00, 1.77, 2.80, 8.54, 5.41 एवं 6.08 तथा औसत वृद्धि 5.66 प्रतिशत दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में वर्ष 2018-19 में विशेष वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2018-19 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 17.21 एवं उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 47.17 प्रतिशत अनुमानित है। इसी अवधि में सेवा क्षेत्र की भागीदारी 35.63 प्रतिशत रहने की संभावना है। प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है-

ऐसे संसाधन जिनके उपयोग/प्रयोग के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिये- कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, जल, बिजली आदि।



छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन (*Energy Resources in Chhattisgarh*)

- छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन के प्रकारों में मुख्यतः कोयला, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा।
- **कोयला:** यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। यह औद्योगिक क्षेत्र के लिये आधारभूत प्रमुख संसाधन है, जिसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी में हजारों साल से दबे मृत जीव-जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेषों से हुई है। कोयले के चार प्रकार होते हैं-
 - ◆ **एंथ्रेसाइट कोयला:** जिसमें कार्बन की मात्रा 85 से 95% तक एवं उत्तम किस्म का कोयला।
 - ◆ **बिटुमिनस कोयला:** जिसमें कार्बन की मात्रा 55 से 85% तक पाई जाती है। यह कोयला सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है।
 - ◆ **लिंगनाइट निम्न कोटि का कोयला:** कार्बन की मात्रा 50% से कम।
 - ◆ **पिट कोयला:** इसमें कार्बन की मात्रा 20% से कम।
- छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, जिसके कारण ताप-विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने में सहायता प्राप्त हुई।
- छत्तीसगढ़ में मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है।
- छत्तीसगढ़ में कोयले के भंडार मुख्यतः उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में सोन एवं महानदी घाटी के अंतर्गत- कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा एवं बिलासपुर जिलों में पाए जाते हैं।
- लौह-इस्पात उद्योग के विकास के लिये इसके महत्व को देखते हुए इसे 'काला सोना' (Black Gold) कहा जाता है।
- छत्तीसगढ़ में कोयला उत्खनन का कार्य सन् 1890 से उमरिया की खानों से प्रारंभ किया गया।
- छत्तीसगढ़ में कोयला उत्खनन 'साउथ-ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड' के द्वारा किया जाता है। यह भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जो मुख्यतः छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़ एवं बिलासपुर जिलों में खनन कार्य करती है।
- कोयले का उपयोग मुख्यतः कोक, अमोनिया, लौह-इस्पात उद्योग, कोलगैस, तारकोल आदि में होता है।

जल, छत्तीसगढ़ राज्य का बहुमूल्य संसाधन है। प्रदेश की लगभग 80% आबादी कृषि तथा कृषि आधारित गतिविधियों पर अपनी जीविका के लिये निर्भर है। प्रदेश में कृषि भी अधिकांशतः वर्षा पर आश्रित है। अतः राज्य के विकास हेतु जल संपदा का प्रभावी तथा दक्ष दोहन आवश्यक है। यद्यपि छत्तीसगढ़ राज्य में जल संपदा का अथाह भंडार है, परंतु इसका समुचित दोहन अभी तक नहीं हुआ है। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात् प्रदेश में जल संसाधनों के विकास हेतु एक अवसर प्रदान किया गया है। प्रदेश के आर्थिक विकास में जल संसाधनों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए एक प्रभावी एवं व्यावहारिक जल संसाधन विकास नीति की अत्यंत आवश्यकता है।

10.1 जल संसाधन (Water Resources)

जल संसाधनों का विकास प्रमुखतः पेयजल, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है। जल संसाधनों के विकास में व्यापक निवेश आवश्यक होता है, किंतु सामाजिक-आर्थिक कारणों से इस निवेश पर आमदनी (Return) अत्यंत कम होती है। जल संसाधनों के विकास हेतु बांधों के निर्माण से डूब में आने वाले क्षेत्रों का वन भी प्रभावित होता है तथा ग्रामवासी भी इससे प्रभावित होते हैं। जल संसाधन विकास हेतु राज्य शासन की नीति के निम्न प्रमुख अंग हैं-

- जल संसाधनों की आयोजना (Water Resources Planning)
- जल संसाधनों का विकास (Water Resources Development)
- जल संसाधनों का प्रबंधन (Water Resources Management)
- जल दरों का युक्तियुक्त करण (Rationalisation of Water Rates)
- जल संरक्षण (Water Conservation)

जल संसाधनों का विकास (Water Resources Development)

प्रदेश के विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राज्य शासन जल संसाधनों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है प्रदेश में जल संसाधनों के विकास हेतु निम्नानुसार रणनीति अपनाई जा रही है:

- निर्माणाधीन योजनाओं को उनकी प्रगति के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित कर चरणबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है।
- नवीन योजनाओं में लगने वाले व्यापक निवेश को देखते हुए जल संसाधनों के विकास में निजी निवेश किया जा रहा है।
- नवीन योजनाएँ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस प्रकार ली जा रही है, ताकि वे निश्चित समयावधि में पूर्ण किए जा सकें जिससे जनहित हो।
- नवीन योजनाएँ लेते समय क्षेत्रीय असंतुलन को भी ध्यान में रखा जाता है।
- नवीन योजनाओं को क्रियान्वित करते समय विस्थापितों के पुनर्वास एवं पर्यावरण संतुलन को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है।
- सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा जल वृष्टि क्षेत्रों में जल संसाधनों के विकास के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।
- राज्य शासन ऐसी सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहित करेगा, जिनका रखरखाव व संरक्षण का दायित्व लेने हेतु उपभोक्ता सहमत हो।
- अंतर्राज्यीय जल विवादों को यथासंभव बातचीत के जरिये शीघ्रातिशीघ्र सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ : खनिज संसाधन (Chhattisgarh : Mineral Resources)

छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। यहाँ पर वन, खनिज, जल, जमीन एवं मानव शक्ति जैसी मूलभूत समस्त सुविधाएँ प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी रखते हैं। इन मूलभूत सुविधाओं का समुचित उपयोग वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश चट्टानों की विविधता एवं बहुलता से अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। प्रदेश की चट्टानें जहाँ एक ओर बहुमूल्य, सामरिक तथा आधारभूत धातुओं को अपने में संजोए है, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक खनिज की प्रचुरता इस प्रदेश की पहचान है।

11.1 राज्य में उपलब्ध प्रमुख खनिजों के भंडार (Major Mineral Reserves Available in th State)

प्रदेश के उत्तर में कोयला, बॉक्साइट, ग्रेफाइट के भंडार हैं तो दक्षिण में लौह अयस्क, टिन, कोरंडम, ब्लेक ग्रेनाइट, लेपीडोलाइट है। इसी प्रकार पूर्व में ऐलेक्जेंड्राइट, स्वर्ण, हीरा, गारनेट एवं पश्चिम में फ्लोराइट, ताम्र अयस्क, क्ले तथा क्वार्टज पाया जाता है। प्रदेश के हृदय स्थल में चूनापत्थर, डोलोमाइट, क्ले के वृहद् भंडार हैं। इसके अतिरिक्त हर जिले में प्रचुर मात्रा में गौण खनिज भी उपलब्ध है।

राज्य में उपलब्ध प्रमुख खनिजों के भंडार तथा उत्पादित मात्रा का विवरण निम्नानुसार हैं:

- **कोयला** : ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला, प्रदेश के खनिज राजस्व में 48.11 प्रतिशत योगदान कर रहे हैं। राज्य में कोयले के 56,036 मिलियन टन भंडार है जो कि राष्ट्र के कोयला भंडार का 18.15 प्रतिशत है। राष्ट्र में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ की सहभागिता 21.01 प्रतिशत है। कोयला उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ का द्वितीय स्थान है। वर्ष 2017-18 में 1425.10 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ। वर्ष 2018-19 में नवंबर 2018 तक 1002.11 लाख टन का उत्पादन हुआ है। प्रदेश में उत्पादित कोयले का उपयोग राष्ट्र तथा प्रदेश स्तरीय वृहत् ताप विद्युत संयंत्रों के अतिरिक्त सीमेंट एवं इस्पात उद्योगों में हो रहा है।
- **लौह अयस्क** : प्रदेश के खनिज राजस्व में लौह अयस्क से लगभग 26.28 प्रतिशत का योगदान है। कबीरधाम जिले में इकलामा क्षेत्र से बालोद जिले के दल्ली राजहरा होकर बस्तर दंतेवाड़ा के बैलाडीला तक की पर्वत श्रृंखलाओं में लौह अयस्क के 4031 मिलियन टन भंडार मौजूद है, जो राष्ट्रीय लौह अयस्क भंडार का 19.59 प्रतिशत है। राष्ट्र के लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ की सहभागिता 17.19 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ को राष्ट्र के लौह अयस्क खनिज उत्पादक राज्यों में द्वितीय स्थान प्राप्त है। लौह अयस्क का उत्पादन दंतेवाड़ा, बालोद, कांकेर एवं राजनांदगाँव जिलों में हो रहा है। वर्ष 2017-18 में 345.46 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ है। वर्ष 2018-19 में नवंबर 2018 तक 208.22 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ है। लौह अयस्क का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र के जिला दंतेवाड़ा स्थित नेशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन.एम.डी.सी.) की बैलाडीला खानों में तथा बालोद जिले में स्थित दिल्ली राजहरा खानों से भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क प्राप्त हो रहा है। अल्प मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन निजी क्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगाँव तथा कांकेर जिलों में भी किया जा रहा है।
- **टिन अयस्क** : सामरिक महत्व के खनिज टिन अयस्क का भंडार 30 मिलियन टन उपलब्ध है, जबकि राष्ट्रीय भंडार में 35.83 प्रतिशत का योगदान छत्तीसगढ़ का है। देश में इस टिन अयस्क का शत-प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में ही हो रहा है। वर्ष 2017-18 में 16,758 किलोग्राम टिन अयस्क का उत्पादन हुआ। वर्ष 2018-19 में दिसंबर 2018 तक 12788 किलोग्राम टिन अयस्क का उत्पादन हुआ है। सी.एम.डी.सी. द्वारा टिन अयस्क का क्रय अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान छत्तीसगढ़ में किया गया है।

छत्तीसगढ़ : परिवहन एवं संचार (Chhattisgarh: Transport and Communication)

मानव अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निरंतर विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करता है जिनमें से कुछ उसके आस-पास के वातावरण से उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ वस्तुओं को बाहर से मंगाया जाता है, जिसके लिये परिवहन की आवश्यकता होती है।

दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का निरंतर प्रवाह बनाए रखने के लिये जिस माध्यम का प्रयोग करता है, उसे परिवहन कहते हैं। परिवहन के मुख्यतः तीन प्रकार हैं- स्थल जल और वायु।

12.1 छत्तीसगढ़ में परिवहन (*Transport in Chhattisgarh*)

देश में खनिज संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर छत्तीसगढ़ एक समृद्ध राज्य है। खनिज संसाधनों के लिये परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इसके द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रतिमानों को हासिल किया जा सकता है। साथ ही परिवहन के विकास द्वारा राज्य में निवासरत बहुसंख्यक जनजातियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए और राज्य की समस्त जनसंख्या के दैनिक जीवन हेतु अनिवार्य सुविधाएँ सरल रूप में प्राप्त हों। छत्तीसगढ़ में आवागमन के मुख्यतः तीन साधन हैं- सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग।

सड़क मार्ग

- संपूर्ण देश में एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने वाली मुख्य सड़कों/मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं।
- छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिये सन् 1972 में राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, रायपुर की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत दो संचालनीय कार्यालय रायपुर एवं जगदलपुर आते हैं।
- राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से एवं राज्य के अंदर स्थित बड़े शहरों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें/मार्ग, राज्य राजमार्ग (State Highway)/प्रांतीय राजमार्ग कहलाते हैं। इनकी देखभाल का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) का होता है।

सड़कों की लंबाई 2018 की स्थिति के अनुसार

क्रम संख्या	मार्ग	लंबाई (किमी.में)	प्रतिशत
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	3510 किमी.	10.69
2.	राज्य राजमार्ग	4176 किमी.	12.71
3.	मुख्य जिला मार्ग	11245 किमी.	34.24
4.	ग्रामीण मार्ग एवं अन्य मार्ग	13902 किमी.	42.34
	कुल योग	32833 किमी.	

स्रोत- आर्थिक समीक्षा छत्तीसगढ़, 2018-19

- छत्तीसगढ़ में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या- 20
- सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग-NH-30
- सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग-NH-163 (A) (12 किमी.)
- सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग (छत्तीसगढ़ के अंदर) - NH-53
कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरते हैं-

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ बीमारी या कमजोरी का न होना ही नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था ही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य एक सकारात्मक अवधारणा है, जो सामाजिक एवं व्यक्तिगत साधन स्रोतों तथा शारीरिक क्षमताओं पर बल देती है।

जीवन के मूल्यों को समझने के लिये शिक्षा के महत्त्व को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिये शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है। शिक्षा से ही इंसान के भीतर सोचने, समझने और सीखने की क्षमता विकसित होती है और वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है।

स्वास्थ्य और शिक्षा के बाद खेलकूद भी हमारे दैनिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। खेलकूद का व्यक्तित्व के विकास में बहुत योगदान है। इनसे शारीरिक और मानसिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। खेल कई तरह के होते हैं, जिन्हें मुख्यतः दो वर्गों में बाँटा गया है- इनडोर एवं आउटडोर। इनडोर खेल, जैसे- कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस आदि। वही आउटडोर खेल में जैसे- क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि आते हैं।

13.1 छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य परिदृश्य (*Health Scenario in Chhattisgarh*)

स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत उन समस्त प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है जिससे मानव की जीवन प्रत्याशा, शारीरिक शक्ति व योग्यता तथा कार्यक्षमता आदि की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं आवास की दशाएँ मानव विकास को प्रभावित कर अंततः आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। कुपोषण, निम्न जीवन स्तर, बीमारियाँ तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी मानव की दक्षता में कमी लाता है। अतः यह आवश्यक है कि देश में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिये इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में व्यय तथा विनियोग किया जाए, ताकि देश की मानव शक्ति कार्यकुशल एवं दक्ष बनी रहे।

सितंबर 2015 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स) की अवधि पूरी होने पर इन लक्ष्यों को और विस्तार देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में अगले 15 वर्षों यानी 2030 तक के लिये एक नया वैश्विक एजेंडा-सतत् विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) तय किया गया, जिनमें विश्व की बेहतरी के लिये 17 सतत् विकास लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया।

मातृ स्वास्थ्य (*Maternal Health*)

केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं के क्रियान्वयन ने राज्य में मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

मातृ मृत्यु दर 2001-03 में 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर भारत में 301 तथा राज्य में 379 थी। जो घटकर भारत व छत्तीसगढ़ में क्रमशः 130 व 173 (SRS Report 2015) हो गई। SDG में 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। शासकीय अस्पतालों में NFHS-3 वर्ष 2005-06 में 6.9 प्रतिशत प्रसव होता था, जो NFHS-4 में 2015-16 में बढ़कर 55.9 प्रतिशत हो गया है। NFHS-3 वर्ष 2005-06 में संस्थागत प्रसव 14.3 प्रतिशत प्रसव होता था, जो NFHS-4 में 2015-16 में बढ़कर 70.2 प्रतिशत हो गया है।

शिशु स्वास्थ्य (*Internal Health*)

शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारकों में माता का स्वास्थ्य, प्रसव पूर्व एवं पश्चात् नवजात की देखभाल, सामान्य जीवन स्तर, बीमारी की दर, पर्यावरण का स्तर आदि है। शिशु मृत्यु दर को कम करने में छत्तीसगढ़ में प्रभावशील सुधार कार्य किये गए हैं। छत्तीसगढ़ में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के कारण राज्य स्थापित होने से अब तक शिशु मृत्यु दर में

छत्तीसगढ़: जनगणना – 2011 (Chhattisgarh : Census – 2011)

जनगणना संघ सूची का विषय है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद-246 में की गई है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना की महत्ता को देखते हुए संघ सरकार ने 1961 में 'जनगणना विभाग' की, स्थापना की जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ब्रिटिश भारत में 1872 ई. के लार्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई तथा 1881 ई. में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से इसने निरंतरता प्राप्त की। भारत सरकार द्वारा इस परंपरा को जारी रखते हुए प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर देश की जनगणना करवाई जाती है।

14.1 छत्तीसगढ़ में जनगणना (*Census in Chhattisgarh*)

छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया। 1 नवंबर, 1956 से लेकर अस्तित्व में आने के पहले तक यह मध्य प्रदेश का हिस्सा था। 1 नवंबर, 1956 के पहले यह महाकौशल क्षेत्र में शामिल रहकर सी.पी. एण्ड बरार का हिस्सा था। वर्ष 1941 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जनगणना बिहार के साथ तथा 1951 में पुराने मध्य प्रदेश (सी.पी. एण्ड बरार) के साथ हुई थी। 1991 की जनगणना के समय छत्तीसगढ़ में कुल सात जिले थे। वर्ष 2001 की जनगणना के समय राज्य में 16 जिले थे। जनगणना 2011 में राज्य में कुल जिलों की संख्या 18 हो गई। वर्तमान में राज्य में 27 जिले हैं।

कुल जनसंख्या एवं वितरण (*Total Population & Distribution*)

2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.11 प्रतिशत है। जनसंख्या के आधार पर देश में राज्य का 16वाँ स्थान है।

छत्तीसगढ़ की अधिकतम जनसंख्या छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में निवासरत् है। यह क्षेत्र राज्य के दूसरे क्षेत्रों से अधिक विकसित क्षेत्र है। मध्य भाग से महानदी के बहाव के कारण यहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिससे उर्वर भूमि और कृषि का विकास अधिक हुआ। सभी छोटे-बड़े उद्योगों का विकास इसी क्षेत्र में हुआ। इसलिये यह क्षेत्र राज्य का आर्थिक केंद्र माना जाता है।

भौगोलिक दृष्टि से भी इस क्षेत्र का मैदान मानव बसाहट के लिये महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र मुंबई-हावड़ा रेलमार्ग पर स्थित है। यहाँ की सड़क व्यवस्था राज्य के सभी क्षेत्रों तथा पड़ोसी राज्यों से जुड़ी हुई है। रायपुर स्थित हवाई अड्डा तथा राज्य के अन्य प्रमुख हवाई अड्डा देश के प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।

इस क्षेत्र में लाल रेतीली मिट्टी होने के कारण कृषि के लिये अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का भी विकास नहीं हुआ। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण पहुँच मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं। आदिवासी क्षेत्र होने के कारण उद्योग एवं कृषि मशीनों की पहुँच नहीं है, क्योंकि आज भी आदिवासी समाज हस्तांतरित कृषि करते हैं। स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधा इस क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक है। इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों की उपलब्धता तो है, परंतु उचित योजना और उद्योगों का विकास न होने के कारण क्षेत्रीय विकास में बाधक है। स्वास्थ्य सुविधा के अभाव के कारण इस क्षेत्र में उच्च मृत्युदर है। उचित चिकित्सा सुविधा के लिये इस क्षेत्र के लोगों को राज्य एवं देश के बड़े शहरों में जाना पड़ता है। इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो रहे हैं, जल स्तर नीचे जा रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं इसलिये इस क्षेत्र की राज्य के आर्थिक विकास में अल्प भूमिका है।

इस क्षेत्र में अधिक-से-अधिक विकासात्मक कार्य किये जाने की आवश्यकता है और इस क्षेत्र के पलायन को रोका जाना चाहिये। पलायन किसी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिये सरकार को योजनाबद्ध रोजगार निर्माण करने की आवश्यकता है, जिससे पलायन को रोका जा सके। उद्योग एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग आदि क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जगह मिल सके।

छत्तीसगढ़ : पुरातत्व एवं पर्यटन (Chhattisgarh : Archaeology & Tourism)

छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्यप्रदेश राज्य से अलग करके भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं जिनके विषय में जानना छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास को जानने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वहीं यह राज्य पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ राज्य के पर्यटन स्थल कई कारणों से दर्शनीय हैं, जिनमें से कुछ पुरातात्विक कारणों से प्रसिद्ध हैं तो कुछ प्राकृतिक दृश्यों और वन्य जीवों के कारण प्रसिद्ध हैं।

15.1 छत्तीसगढ़ के प्रमुख पुरातात्विक स्थल (Major Archaeological Sites of Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल जो इसके गौरवशाली इतिहास को वर्णित करते हैं, निम्नलिखित हैं-

भोरमदेव

- यह स्थल छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में (कवर्धा) में स्थित है।
- यहाँ भगवान शिव को समर्पित एक हजार वर्ष पुराना मंदिर है।
- यह मंदिर लगभग 7 से 11वीं शताब्दी में मैकाल पर्वत शृंखला के मध्य कृत्रिमतापूर्वक बनाया गया था।
- यह मंदिर नागर शैली के मंदिर का एक सुंदर उदाहरण है। इसी कारण इस मंदिर को 'छत्तीसगढ़ का खजुराहो' कहा जाता है।
- इस मंदिर का निर्माण फणीनागवंशी शासक गोपाल देव (अन्य स्रोत में लक्ष्मण देवराय) ने करवाया था। ऐसी मान्यता है कि गोंड राजाओं के देवता भोरमदेव थे, जो भगवान शिव का एक नाम है। इसी कारण इस मंदिर का नाम भोरमदेव पड़ा।
- इस मंदिर को एक पाँच फुट ऊँचे चबूतरे पर बनाया गया है। इसके तीनों ओर प्रवेश द्वार हैं। मंडप की लंबाई 60 फुट है और चौड़ाई 40 फुट है।
- भोरमदेव मंदिर के निकट ही दो अन्य महत्वपूर्ण मंदिर स्थित हैं- मड़वा महला और छेरकी महल।
- मड़वा महल को 'दूल्हा देव' भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण विवाह संपन्न कराने हेतु किया गया था। इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। छेरकी महल एक शिव मंदिर है।

मल्हार

- यह स्थल बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील में स्थित है।
- मल्हार में उत्खननों के फलस्वरूप पाँच सांस्कृतिक कालों की प्राप्ति हुई, जोकि निम्नलिखित हैं-
 - ◆ प्रथम काल- प्रागैतिहासिक (लगभग 1000 ई.पू.-350 ई.पू.)
 - ◆ द्वितीय काल- मौर्य, शुंग, सातवाहन (लगभग 350 ई.पू.-300 ई.)
 - ◆ तृतीय काल- शरभपुरीय सोमवंशीय (लगभग 300-650 ई.)
 - ◆ चतुर्थ काल- उत्तर सोमवंशीय (लगभग 650-900 ई.)
 - ◆ पंचम काल- (लगभग 900-1300 ई.)

छत्तीसगढ़ : कला एवं संस्कृति (Chhattisgarh : Art and Culture)

छत्तीसगढ़, भारत के हृदय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यह भगवान श्रीराम की कर्मभूमि भी रही है। यह प्राचीन कला, सभ्यता, संस्कृति एवं इतिहास सहित पुरातात्विक खोजों की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। यहाँ कुछ प्रमाण ऐसे भी प्राप्त हुए हैं कि भगवान श्रीराम की माता कौशल्या छत्तीसगढ़ से ही थी। छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति अपने आप में विशिष्ट है। इसके अंतर्गत लोकनृत्य, लोकगीत, नाटक, पर्व-त्यौहार एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रकार के व्यंजन और आभूषण आते हैं।

लोकगीत

- ऐसे गीत जिन्हें किसी क्षेत्र विशेष का संपूर्ण लोक समाज अपनाता है, लोकगीत कहलाता है।
- लोकगीतों का उद्भव संभवतः उतना ही प्राचीन माना जाता है जितना कि मानव जीवन।

लोकगीत	
भोजली गीत	<ul style="list-style-type: none"> ● भोजली गीत छत्तीसगढ़ की एक पहचान है। महिलाओं द्वारा यह गीत सावन के महीने में गाया जाता है। ● यह गीत भूमि जल से संबंधित है। ● इस गीत को रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादों माह में कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन गाते हैं। ● इस गीत में गंगा का नाम कई बार आता है, जैसे- देवी गंगा, देवी गंगा लहर तुरंगा.....।
माता सेवा गीत	<ul style="list-style-type: none"> ● यह गीत नवरात्रि के समय देवी की पूजा पर गाया जाता है।
जवांरा गीत	<ul style="list-style-type: none"> ● यह गीत चैत्र की नवरात्रि के समय गाया जाता है।
गौरा-गौरी गीत	<ul style="list-style-type: none"> ● छत्तीसगढ़ में गौरा-गौरी (गऊरा-गऊरी) उत्सव बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है। इसमें भगवान शिव को गौरा एवं माता पार्वती को गौरी के रूप में माना जाता है। ● यह उत्सव कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के समय मनाया जाता है। ● गौरा लोकगीत सिर्फ महिलाओं द्वारा ही गाया जाता है। ● इस गीत में पुरुषों द्वारा दमऊ, सींग बाजा, ढोल, गुदुम मंजीरा, झुमका आदि वाद्य यंत्र बजाये जाते हैं, जिन्हें गंडवा बाजा कहते हैं।
जस गीत	<ul style="list-style-type: none"> ● यह गीत देवी की स्तुति, विनती या प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। ● छत्तीसगढ़ में देवी का स्थान सर्वोच्च है। ● छत्तीसगढ़ में शरद नवरात्रि में दुर्गा-पूजा के सामने विशेष रूप से जसगीत गाया जाता है। ● इस गीत में देवी धनैया और देवी कौदैया का बार-बार जिक्र होता है।
कर्मा (करमा) गीत	<ul style="list-style-type: none"> ● यह मनोरंजन से संबंधित गीत है। ● यह बारिश शुरू होने से लेकर फसल के कट जाने तक गाया जाता है। ● यह माना जाता है कि कर्मा गीत एवं नृत्य कर्म देवता की पूजा में गाया जाता है, इसलिये इसका नाम कर्मा गीत पड़ा। ● करमा नृत्य ओडिशा एवं बिहार में भी प्रचलित है।

छत्तीसगढ़ : भाषा एवं साहित्य (Chhattisgarh : Language & Literature)

पुरातन समय से ही छत्तीसगढ़ (दक्षिण-कोसल) विभिन्न संस्कृतियों का मिलन-स्थल रहा है। यहाँ भिन्न-भिन्न धर्म, भाषाएँ/बोलियाँ विकसित हुईं एवं वर्तमान में भी यह अपनी विविधता को सँजोए हुए है। छत्तीसगढ़ की इस भाषायी विविधता को देखते हुए यहाँ के भाषाविदों ने छत्तीसगढ़ को एक 'भाषायी क्षेत्र' की संज्ञा दी है। वर्तमान में यहाँ लगभग 93 भाषाएँ/बोलियाँ बोली जाती हैं।

शब्दों और भावों का संचय साहित्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य द्वारा अपने विचारों और भावनाओं को किसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने का मूर्त रूप (रचना) साहित्य कहलाता है।

छत्तीसगढ़ी भाषा में जो काव्य-रचना की गई उसे छत्तीसगढ़ी काव्य कहते हैं, क्योंकि आरंभिक रूप में छत्तीसगढ़ी कोई स्वतंत्र भाषा नहीं थी इसलिये इस भाषा में स्वतंत्र काव्य-रचना के उदाहरण बहुत ही नगण्य हैं, जो कुछ साहित्य के रूप में प्राप्य है उसमें ज्यादातर यहाँ की लोक-संस्कृति में प्रचलित कथाएँ, कहानियाँ और धार्मिक तथा पौराणिक उपदेश हैं जो सदियों से लोक-जीवन का हिस्सा रहे हैं।

17.1 छत्तीसगढ़ी भाषा (Chhattisgarhi Language)

छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास (Evolution of Chhattisgarhi Language)

भाषाशास्त्रियों ने 'छत्तीसगढ़ी' को पूर्वी हिन्दी की एक शाखा माना है। इस प्रकार 'छत्तीसगढ़ी' का विकास अन्य आधुनिक भाषाओं की भाँति प्राचीन आर्य भाषा (संस्कृत) से हुआ है। विकासक्रम में 'अपभ्रंश' से 'अर्द्धमागधी', अर्द्धमागधी से पूर्वी हिन्दी की उपभाषाओं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। 'मागधी' और 'शौरसेनी' के बीच का क्षेत्र 'अर्द्धमागधी' का है इसलिये 'अर्द्धमागधी' में 'मागधी' एवं 'शौरसेनी' दोनों की विशेषताएँ पाई जाती हैं किंतु ज्यादा प्रभाव 'मागधी' का ही है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिन्दी की तीन शाखाओं में से एक है। अन्य दो शाखाएँ बघेली और अवधी हैं। इन दोनों को छत्तीसगढ़ी की दो भगिनियाँ कहा जाता है।

यह छत्तीसगढ़ के दो करोड़ से ज्यादा लोगों की संपर्क भाषा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ी को प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया है और इसके विकास एवं निरंतरता को बनाए रखने के लिये एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया है।

छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति का विकासक्रम: प्राचीन भारतीय आर्यभाषा (वैदिक संस्कृत 1500 ई.पू. से 1000 ई.पू., लौकिक संस्कृत 1000 ई.पू. से 500 ई.पू.) → मध्यकालीन आर्य भाषा (प्रथम प्राकृत/पालि 500 ई.पू. से 1 ली ई. तक, द्वितीय प्राकृत 1 ली ई. से 500 ई. तक, तृतीय प्राकृत/अपभ्रंश 500 ई. से 1000 ई. एवं अवहट्ट 900 ई. से 1100 ई. तक)

छत्तीसगढ़ी का विकासक्रम						
वैदिक संस्कृत	→	लौकिक संस्कृत	→	पालि	→	प्राकृत
अपभ्रंश	→	अर्द्धमागधी	→	पूर्वी हिन्दी	→	छत्तीसगढ़ी

छत्तीसगढ़ के भाषा-परिवार (Language family of Chhattisgarh)

हीरालाल शुक्ल ने छत्तीसगढ़ के भाषा-परिवार को निम्नलिखित तीन रूपों में वर्गीकृत किया है-

- (i) मुंडा (आग्नेय) भाषा-परिवार
(ii) द्रविड़ भाषा-परिवार
(iii) आर्य भाषा-परिवार

छत्तीसगढ़ एक जनजाति बहुल राज्य है जो अपनी पृथक् संस्कृति एवं लोककला के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ की जनजातियाँ अपनी विशिष्ट जीवन शैली तथा अपनी परंपरागत संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल हुई हैं। छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजातियाँ 'प्रोटोऑस्ट्रेलॉइड' प्रकार की हैं। छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं जो 161 उपसमूहों में विभाजित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 78,22,902 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 30.6 प्रतिशत है तथा देश की कुल जनसंख्या का 8 प्रतिशत है। बस्तर को 'जनजातियों की भूमि' कहा जाता है।

जनजाति की परिभाषाएँ (Definitions of Tribes)

- **डी.एन. मजूमदार के अनुसार:** 'जनजाति परिवारों का एक संकलन है जिसका अपना एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग में निवास करते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं। विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ निर्देशों का पालन करते हैं तथा एक सुनियोजित आदान-प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं, जनजाति कहा जाता है।'
- **गिलिन एवं गिलिन के अनुसार:** 'जनजाति किसी ऐसे स्थानीय समूह को कहा जाता है जो एक सामान्य भू-भाग पर निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो तथा एक सामान्य सांस्कृतिक व्यवहार करता हो।'
- **इंपीरियल गज़ेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार:** 'जनजाति ऐसे परिवारों का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम है, सामान्य भाषा है तथा जो सामान्य भू-भाग में बसे हुए हैं अथवा उसमें बसे होने का दावा करते हैं और उनमें अंतर्विवाही न होने वाली प्रथा पाई जाती है।'
- **पुस्तक 'नोट्स एंड क्वेरिज' के अनुसार:** 'जनजाति एक ऐसा समूह है, जो किसी विशेष भू-स्थान का स्वामी है जो राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से श्रृंखलाबद्ध स्वायत्त शासन चला रहा हो, जनजाति कहलाती है।'
- **लूसी मेयर:** जनजाति समान संस्कृति वाली जनसंख्या का स्वतंत्र राजनीतिक विभाजन है।
- **ऑक्सफोर्ड शब्दकोश:** 'जनजाति विकास के आदिम अथवा बबेर आचरण में लोगों का एक समूह है जो एक मुखिया की सत्ता स्वीकारते हैं तथा साधारणतया अपना एक समान पूर्वज मानते हैं।'

जनजाति समुदाय के लक्षण

- जनजाति परिवारों का एक समूह होता है, जिसका अपना एक विशेष नाम होता है।
- किसी विशेष जनजाति समुदाय का भौगोलिक वितरण एक सुनिश्चित भू-भाग पर होता है।
- प्रत्येक जनजातियों की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति एवं बोली/भाषा होती है।
- जनजातियों में गोत्र एवं अंतर्विवाही समूहों की विशिष्टता होती है।
- जनजातियों का सुरक्षात्मक एवं स्वतंत्र प्रकार का राजनीतिक संगठन होता है जिसमें सामान्यतः मुखिया सर्वोच्च होता है।
- जनजाति समाज पितृसत्तात्मक होता है।

जनजातियों का भाषायी वर्गीकरण

छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों को अनेक विद्वानों ने अलग-अलग प्रकार से वर्गीकृत करने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ में जनजातियों के भाषायी वितरण को ध्यान में रखकर इसे तीन जनजातीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है-

छत्तीसगढ़: सम्मान एवं पुरस्कार (Chhattisgarh: Honour and Award)

छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के प्रमुख कार्य करने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं विभूतियों की स्मृति में पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों की स्थापना का उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके सर्वोच्च कार्यों के लिये यथोचित सम्मान प्रदान करना है। इन पुरस्कारों को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की वर्षगाँठ के अवसर पर, अर्थात् 1 नवंबर को प्रदान किया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य समाज सेवा, खेल, साहित्य और कला इत्यादि को प्रोत्साहन देना है जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके और छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार देना 2001 से प्रारंभ किया गया है।

छत्तीसगढ़ के पुरस्कार/सम्मान : एक नज़र में

पुरस्कार/सम्मान	संबंधित क्षेत्र	संबंधित विभाग	प्रथम प्राप्तकर्ता	वर्तमान प्राप्तकर्ता 2019
शहीद वीरनारायण सिंह	आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग	आदिम जाति कल्याण विभाग	आदिवासी शिक्षण समिति पाड़ीमाल	घनश्याम सिंह अंकुर (बमेतरा) 2018
गुंडाधुर सम्मान	खेल	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	आशीष अरोड़ा (वॉलीबाल)	दिपेश कुमार सिन्हा
मिनीमाता सम्मान	महिला उत्थान	महिला एवं बाल विकास विभाग	श्रीमती बिन्नीबाई	रुकमणी चतुर्वेदी
गुरु घासीदास सम्मान	सामाजिक चेतना/दलित उत्थान	आदिम जाति कल्याण विभाग	डॉ. रत्नलाल जांगड़े एवं राजमहंत जगतु	गुरुघासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी रायपुर
ठा. प्यारेलाल सिंह	सहकारिता	सहकारिता विभाग	प्रीतपाल बेलचंदन और बृजभूषण देवांगन	नितिन पोटाई
पं. रविशंकर शुक्ल	सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक	सामान्य प्रशासन विभाग	श्री केयूर भूषण	लोक स्वास्थ्य निगम बिलासपुर
राजा चक्रधर सिंह सम्मान	संगीत एवं कला	संस्कृति विभाग	किशोरी अमोनकर	मिर्जा मसूद
पं. सुंदरलाल शर्मा	आंचलिक साहित्य लेखन	संस्कृति विभाग	श्री विनोद कुमार शुक्ल	सैय्यद अयूब अलीमीर
दाऊ दुलार सिंह मंदराजी सम्मान	लोककला/शिल्प	संस्कृति विभाग	श्री झाड़ूराम देवांगन	कुलेश्वर ताम्रकार (तमारकर)
डॉ. खूबचंद बघेल जी सम्मान	कृषि	कृषि विभाग	श्रीकांत गोवर्धन	खीरसागर पटेल
चंदूलाल चंद्राकर सम्मान	पत्रकारिता (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया)	जनसंपर्क विभाग	श्री अजयदीप सारंग	ज्ञानेंद्र तिवारी
चंदूलाल चंद्राकर सम्मान	प्रिंट मीडिया (हिन्दी)	जनसंपर्क विभाग	सुश्री आरती धर	रामशंकर यादव
यति यतनलाल सम्मान	अहिंसा एवं गौरक्षा	सामान्य प्रशासन विभाग	श्री रमेश याज्ञिक व हरिप्रसाद जोशी	विद्यासागर (गोविंदी देवी चैरीटेबल ट्रस्ट)

महाराजा चक्रधर सिंह

राजा चक्रधर सिंह का जन्म 19 अगस्त, 1905 को रायगढ़ रियासत में हुआ था। इन्हें कथक के लिये खास तौर पर जाना जाता है। इन्होंने कथक का विशिष्ट स्वरूप विकसित किया, जिसे रायगढ़ घराने के नाम से जाना जाता है। इन्हें रायगढ़ को देश के प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में संवारने का श्रेय दिया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन ने इनकी स्मृति में कला और संगीत हेतु चक्रधर सम्मान स्थापित किया है।

मिनीमाता

- इनका वास्तविक नाम मीनाक्षी था।
- इन्होंने समाज की गरीबी, अशिक्षा तथा पिछड़ापन दूर करने के लिये पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
- मिनीमाता मजदूर हितों और नारी शिक्षा के प्रति भी जागरूक रहीं।
- छत्तीसगढ़ में कृषि तथा सिंचाई के लिये हसदेव बांध परियोजना इनकी दूर-दृष्टि का परिचायक है।
- भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थानीय निवासियों को रोजगार और औद्योगिक प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया।

यति यतनलाल

- इनका जन्म 1894 में बीकानेर में हुआ था।
- इन्हें दलित उत्थान हेतु किए गए प्रयासों के लिये जाना जाता है।
- 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार कार्य में संयोजक तथा नगर प्रमुख के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- महात्मा गांधी के निर्देशानुसार इन्होंने 1935 में ग्रामोदयोग, अनुसूचित जाति उत्थान और हिन्दू-मुस्लिम एकता की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये।

मधुकर खेर

इनका जन्म 12 फरवरी, 1928 को रायपुर में हुआ। इन्हें पत्रकारिता में योगदान के लिये जाना जाता है।

- पूर्ववती मध्यप्रदेश में श्रमजीवी पत्रकार संघ (विदर्भ) के संस्थापक सदस्य एवं रायपुर श्रमजीवी पत्रकार संघ के संस्थापक सदस्य रहे।
- पत्रकारिता के अतिरिक्त एकांकी नाटक, लेख तथा फीचर लिखने का इनका शौक रहा।
- रायपुर प्रेस-क्लब भवन का नामकरण इनकी स्मृति में स्व. मधुकर खेर स्मृति भवन किया गया है।

किशोर साहू

- किशोर साहू भारतीय सिने जगत के बहुमुखी प्रतिभावशाली चिरस्मरणीय शिखिसयत रहे हैं।
- ये 22 फिल्मों में अभिनेता तथा 20 फिल्मों के सफल निर्देशक भी रहे।
- इन्होंने बॉम्बे टॉकीज की मशहूर अभिनेत्री देविकारानी के साथ अभिनेता के रूप में फिल्मी कैरियर का प्रारंभ किया।
- कालीघाट, बुजदिल, साजन, दिल अपना और प्रीत पराई, बिजली, पूनम की रात, हरे काँच की चूड़ियाँ जैसी फिल्मों के लिये पटकथा लेखन, निर्माण एवं निर्देशन में किशोर साहू की प्रतिभा, मौलिकता और समर्पण की छवि छत्तीसगढ़ की अस्मिता का प्रतीक है।

ई-शक्ति

- 15 मार्च, 2015 को नॉबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिये इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया।
- इसे राज्य के चार जिलों- राजनांदगाँव, दुर्ग, महासमुंद और बिलासपुर में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया।
- इस योजना का एक अन्य उद्देश्य- बैंकों को स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने में आसानी हो एवं भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में स्वयं सहायता समूहों को लाया जा सके।
- इसके अंतर्गत 4 जिलों में स्वयं सहायता समूहों के 91277 सदस्यों के बचत खाते खोले गए, 15173 सदस्यों को सूक्ष्म पेंशन सुविधा एवं 10540 सदस्यों का बीमा कराया गया।

मुख्यमंत्री सड़क एवं विकास योजना

- इस योजना को 23 अप्रैल 2011 को प्रारंभ किया गया।
- यह राज्य पोषित योजना है जिसके अंतर्गत ऐसी सड़कों को निर्माण किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दायरे में नहीं आती है।
- इसमें 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत 1383 सड़कें, जिनकी कुल लंबाई 4376.81 किमी. है, के लिये 2173.79 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना

- यह योजना वर्ष 2012-13 में लागू की गई थी।
- इस योजना में कम से 200 मी. एवं अधिकतम 500 मी., 6 मी. चौड़ाई की सड़क, बीच में 4 मी. चौड़ाई में कंक्रीट मार्ग निर्माण, 0.05 मी. चौड़ाई में दोनों ओर खरंजा तथा शेष चौड़ाई में दोनों तरफ 0.50 मी. चौड़ाई में 'V' आकार की नाली का निर्माण किया जाता है।
- इस योजना में अभी तक 6893 कार्य, 1957.155 किमी. लंबाई एवं 1185.029 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

मिशन अमृत

- भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 25 जून, 2015 को देश के 500 शहरों जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, के लिये अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) का शुभारंभ किया गया है। जिसमें प्रदेश के 09 नगरीय निकाय (रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगाँव, अबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ एवं कोरबा) शामिल किये गए हैं। मिशन अंतर्गत जलप्रदाय, सीवरेज तथा सेप्टेज मैनेजमेंट, उद्यान एवं हरित स्थल इसके प्रमुख घटक हैं।
- मिशन अवधि (वर्ष 2015-20 तक) हेतु कुल राशि रु. 2192.76 करोड़ की कार्ययोजना भारत सरकार एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई।
- प्राप्त केंद्रांश के अनुपात में राज्यांश की राशि रु. 299.438 करोड़ आहरित की गई है।
- सभी 09 शहरों की जल प्रदाय परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर है।
- नगर निगम रायपुर हेतु मिशन क्लीन खारून योजना अंतर्गत सीवेज मास्टर प्लान रायपुर राशि रु. 231 करोड़ की परियोजना का कार्य प्रगतिरत है।


छत्तीसगढ़ : राजव्यवस्था एवं प्रशासनिक ढाँचा (Chhattisgarh : Polity and Administrative Structure)

किसी देश का संविधान उस देश की जनता को शासित करने के लिये राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढाँचा निर्धारित करता है। यह शासन के विभिन्न अंगों की स्थापना करता है और उसके दायित्वों को निर्धारित करता है। इन दायित्वों को ये पूरा करने वाले विभिन्न अंगों के अंतर्संबंधों का विनियमन भी करता है। भारत का संविधान भी जनता को शासित करने के लिये केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर विभिन्न अंगों की व्यवस्था करता है। राजव्यवस्था के सुदृढ़ रूप से संचालन हेतु केंद्रीय शासन को मुख्यतः तीन वर्गों में बाँटा गया है- विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका।

राज्य स्तर पर भी यही तीनों अंग राजव्यवस्था का विनियमन, संचालन और नियंत्रण करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में भी तीनों अंगों के द्वारा ही राजव्यवस्था का संचालन किया जाता है।

22.1 छत्तीसगढ़ विधायिका (Chhattisgarh Legislature)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत प्रत्येक राज्य के लिये एक विधायिका/विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ विधानमंडल/विधायिका में राज्यपाल तथा एक सदन विधानसभा (निम्न सदन) शामिल हैं।



छत्तीसगढ़ विधानसभा (Chhattisgarh Legislative Assembly)

1 नवंबर, 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी गठन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधानसभा में 91 सदस्य थे, जिनमें से 90 जनता द्वारा निर्वाचित तथा 01 नामांकित सदस्य (एंग्लो इंडियन समुदाय) थे। प्रथम विधानसभा का प्रथम सत्र 14 दिसंबर, 2000 से 19 दिसंबर, 2000 तक चला। द्वितीय सत्र 27 फरवरी, 2001 से नवनिर्मित विधानसभा भवन में प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ की प्रथम विधानसभा में कुल 8 सत्र की बैठकें संपन्न हुई थीं।

5 दिसंबर, 2003 को छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधानसभा का गठन हुआ। द्वितीय विधानसभा में कुल 15 सत्र की बैठकें हुईं।

प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम (वर्तमान) विधानसभा में दलवार सदस्य संख्या निम्नानुसार है-

क्रमांक	दल का नाम	प्रथम विधानसभा		द्वितीय विधानसभा		तृतीय विधानसभा		चतुर्थ विधानसभा		पंचम विधानसभा	
		गठन के समय	विघटन के समय	गठन के समय	विघटन के समय	गठन के समय	विघटन के समय	गठन के समय	विघटन के समय	गठन के समय	विघटन के समय
1.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	48	62	37	34	38	38	38	—	67	
2.	भारतीय जनता पार्टी	36	22	50	52	50	49	49	—	14	
3.	बहुजन समाज पार्टी	3	02	2	1	2	2	1	—	2	

छत्तीसगढ़ : स्थानीय शासन एवं पंचायती राज (Chhattisgarh : Local Government and Panchayati Raj)

“केंद्र और राज्य सरकारों के अतिरिक्त तीसरे स्तर पर एक ऐसी शासन और प्रशासन व्यवस्था है जिसके संपर्क में असंख्य गाँव, ज़िला और तहसीलों के लोग रहते हैं और वे इन्हीं स्थानों पर निवास करते हैं। इस तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय स्व-शासन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसका सीधा संबंध स्थानीय समस्याओं से होता है। उनके निराकरण का उत्तरदायित्व इन्हीं पर होता है। स्थानीय आर्थिक सामाजिक विकास की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होती है।”

“लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में स्थानीय स्व-शासन की संस्थाओं का महत्त्व बहुत अधिक होता है। ये संस्थाएँ लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशालाओं के रूप में कार्य करती हैं। देश के नागरिकों में राजनैतिक चेतना के प्रसार और लोकतंत्र के लिये वातावरण तैयार करने का महत्त्वपूर्ण कार्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं में भागदारी करके लोग स्वायत्तता की प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहाँ उन्हें समाजसेवी राजनीति का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है।”

नोट: छत्तीसगढ़ पंचायती राज प्रणाली के विस्तृत अध्ययन के लिये भारतीय राज व्यवस्था भाग-3 के अध्याय 18 का अध्ययन करें यहाँ संक्षिप्त जानकारी दी गई है।

23.1 छत्तीसगढ़ में स्थानीय शासन (*Local Government in Chhattisgarh*)

1950 में स्वतंत्र भारत का नवीन संविधान लागू हुआ। इसके साथ ही स्थानीय शासन ने एक नए दौर में प्रवेश किया। स्थानीय स्वशासन (शासन) को राज्यों की कार्यसूची के अंतर्गत रखा गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का वर्तमान स्वरूप ब्रिटिश शासन की देन है, जो दो प्रणालियों में विभक्त है-

1. शहरी क्षेत्र के लिये (नगरीय निकाय प्रणाली)
2. ग्रामीण क्षेत्र के लिये (पंचायती राज प्रणाली)

स्थानीय स्वशासन की यह प्रणाली भारत के लगभग सभी राज्यों में एक समान है मगर इसके तहत बनाई गई संस्थाएँ एवं उनके स्तर अलग-अलग हैं। छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों में तीन प्रकार की संस्थाएँ पाई जाती हैं-

1. नगर निगम
2. नगर पालिका
3. नगर पंचायत

इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी यहाँ तीन प्रकार की संस्थाएँ हैं-

- ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
- विकास खंड स्तर या मध्यवर्ती स्तर पर जनपद पंचायत
- ज़िला स्तर पर ज़िला पंचायत

73वाँ संविधान संशोधन (*73th Constitutional Amendment*)

73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था (ग्रामीण भारत का स्थानीय स्वशासन) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत संविधान में **भाग-9** पुनः जोड़ा गया, जिसे 7वें संविधान संशोधन, 1956 द्वारा हटा दिया गया था। चूँकि मूल संविधान में भाग-9 के अंतर्गत एक ही अनुच्छेद (अनुच्छेद 243) था, इसलिये पंचायती राज से जुड़े उपबंध इसी अनुच्छेद के विभिन्न खंडों के रूप में स्थापित किये गए। भाग-9 का शीर्षक है- ‘पंचायतें’ तथा इसमें अनुच्छेद 243 से 243ण तक शामिल हैं। इसके अलावा 73वें संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायतों के लिये निर्दिष्ट 29 विषयों की सूची दी गई है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- ✓ आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- ✓ पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी तथा फ्लोचार्ट का उपयुक्त समावेश।
- ✓ विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- ✓ प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com

E-mail : online@groupdrishti.com

 **DrishtiIAS**

 **YouTube** Drishti IAS

 **drishtiias**

 **drishtithevisionfoundation**

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

Phones : 8750187501, 011-47532596